कार्यालय आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड
बाजपुर रोड, काशीपुर ऊधमसिंह नगर

पत्रांकः 2202 /लेखा   दिनांकः 25 फरवरी, 2025

–ःकोटेशन सूचनाः–

गन्ना विकास से सम्बन्धित कार्यो के सुचारू सम्पादन के दृष्टिगत आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड के प्रयोजनार्थ 01 वाहन टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कैप्टन सीट जो 2023 से पूर्व का न हो, जिसका आधार/सन्दर्भ दरें प्रतिमाह रू0 48,490.00 (अड़तालीस हजार चार सौ नब्बे रू0 जी0 एस0टी0 सहित) दर से सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड के अधीन पंजीकृत वाहन स्वामियों से दरें दिनांक 20.02.2025 को 01:00 बजे अपराह्न तक मुहर बन्द रूप में आमंत्रित की जाती है। कोटेशन प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक फर्म को अंकन 5,000.00 (पांच हजार रूपया) की प्रतिभूति अपर आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड के पदनाम से बन्धक कराते हुए एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में प्रस्तुत करते हुये वाहन से सम्बन्धित समस्त प्रमाणित अभिलेख जमा करने होंगे।

तत्क्रम मे कोटेशन प्रस्ताव कार्यालय आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, काशीपुर में दिनांक 20.02.2025 को अपराह्न 1.00 बजे तक प्रस्तुत किये जायेंगे तथा इसी तिथि को अपराह्न 02.00 बजे उपस्थित कोटेशन दाताओं के सम्मुख गठित समिति द्वारा कोटेशन प्रस्ताव खोले जायेंगे। सील रहित लिफाफा स्वीकार नही होगा। बिना कारण बताए किसी भी कोटेशन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार गठित समिति अध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा।

सफल कोटेशनदाता के लिये सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 212/IX–1/2016/2011/2023 दिनांक 17.02.2023 में उल्लेखित नियम व शर्ते एवं समय–समय पर जारी अन्य नियम लागू होगे। नियम व शर्ते कार्यालय में एवं विभागीय बैवसाईड (Sugarcane.uk.gov.in) पर देखी जा सकती है।

(चन्द्र सिंह इमलाल) 05/2/2025
अध्यक्ष,
किराया निर्धारण समिति/अपर आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,
उत्तराखण्ड।

नियम व शर्ते

1. वाहन का प्रकारः वाहन का मेक जो कि 2023 से पूर्व का न हो। वाहन की मेक के समर्थन में पंजीकरण प्रमाण पत्र–23, टैक्सी परमिट प्रपत्र 47, प्रपत्र 27 टूरिस्ट परमिट 38, फिटनेस प्रमाण पत्र, गाड़ी इन्स्योरेन्स, ड्राईविंग लाइसेंस की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य है। वाहन की जॉच के उपरान्त ही वाहन चयन किया जायेगा।
2. सफल कोटेशनदाता से रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर वर्ष 2025–26 हेतु कार्य आदेश निर्गत करने से पूर्व अनुबन्ध किया जायेगा।
3. फर्म/वाहन स्वामी अधिकृत किये गये वाहन को आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड के कार्यालय परिसर में रखना होगा व आयुक्त महोदय की अनुमति के बिना वाहन को कही भी नही लेकर जायेगा।
4. रास्ते में वाहन खराबी/ईंधन न होने एवं वाहन चालक द्वारा दुर्व्यवहार करने पर दूसरे वाहन की स्थानीय स्तर से व्यवस्था किये जाने पर उसके भुगतान की कटौती फर्म की धरोहर धनराशि/बिल से की जायेगी।
5. वाहन का औसत सम्भागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, देहरादून उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर होना चाहिए एवं ईंधन की व्यवस्था विभाग द्वारा की जायेगी।
6. वाहन का अनुरक्षण विभागीय मानकों के अनुसार होना चाहिए। सर्विसिंग एवं अन्य लुब्रीकैन्ट मरम्मत आदि की व्यवस्था वाहन स्वामी की होगी।
7. वाहन की मरम्मत, दुर्घटना आदि की स्थिति में फर्म/वाहन स्वामी द्वारा दूसरा वाहन विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
8. वाहन का अनुबन्ध दिनांक 01.04.2025 से एक वर्ष हेतु किया जा रहा है तथा इसे समय–समय पर बढ़ाये/घटाये/समाप्त किये जाने का अधिकार आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग को निहित होगा।
9. वाहन के किराये का भुगतान माह के समाप्त होने के उपरान्त/धनांवटन उपलब्ध होने पर किया जायेगा।
10. जी0एस0टी0/अन्य टैक्स का भुगतान स्वंय फर्म द्वारा किया जायेगा। जी0एस0टी0/अन्य टैक्स हेतु विभाग द्वारा अतिरिक्त कोई धनराशि देय नहीं होगी।
11. वाहन से आवश्यकतानुसार पहाड़ी/मैदानी मार्गो में यात्रा की जायेगी, यात्रा के दौरान होने वाले पार्किंग, टोल, रोड टैक्स फर्म द्वारा वहन किया जायेगा तथा टौल टैक्स की रसीद/पावती उपलब्ध कराने उपरान्त कार्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। रसीद संलग्न करना अनिवार्य है, तभी भुगतान सम्भव होगा।
12. वाहन किराये हेतु अनुबन्धित फर्म द्वारा अनुबन्ध समाप्ति की सूचना एक माह पूर्व दी जायेगी, यह अनुबन्ध दिनांक 01.04.2025 से एक वर्ष हेतु लागू रहेगा जब तक कि फर्म द्वारा अनुबन्ध समाप्ति की सूचना नही दी जाती है।
13. वाहन की मीटर रीडिंग कार्यालय में उपस्थिति देने पर अंकित की जायेगी, अतिरिक्त कि0मी0 देय नही होगा।
14. वाहन के क्षतिग्रस्त एवं दुर्घटना होने पर उसकी प्रतिपूर्ति जिम्मेदारी कार्यालय आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, काशीपुर की नहीं होगी तथा फर्म द्वारा विभाग को तत्काल दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा।
15. परिवहन विभाग/पुलिस विभाग से सम्बन्धित सभी टैक्स/शास्ति व न्याय पालिका से सम्बन्धित कोई भी विवाद वाहन स्वामी/फर्म द्वारा ही वहन किया जायेगा।
16. अन्य शर्ते सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 212/IX–1/2016/2011/2023 दिनांक 17.02.2023 में उल्लेखित नियम व शर्ते एवं समय–समय पर जारी अन्य नियम लागू होगे।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
मुख्यालय।